न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुश्री प्रियंका तलानिया आर.ए.एस.

अनवान :-
रामूराम पुत्र श्री बनवारी लाल जाति नायक निवासी 3 एलजीएम तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह जाति मजहबी निवासी 13 एपीडी-बी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीविजयनगर।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :- 1. श्री लाजपतराय वकील प्रार्थी।
2. श्री साहिब बाघला अप्रार्थी संख्या-1

(प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या : 39/2019 निर्णय दिनांक : 02.07.2019

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

यह कि अप्रार्थी संख्या 1 के नमा से चक 13 एपीडी-बी का खता संख्या 11 मु.नं. 6 प.नं. 253/401 का किला नं. 1 से 26 कुल 6.325 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदरी रकबा दर्ज जमावन्दी रिकॉर्ड है।

यह कि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा मुझ प्रार्थी के समक्ष अपनी उक्त भूमि में से चक 13 एपीडी-बी का खाता संख्या 11 मु.नं. 6 प.नं. 253/401 का किला नं. 4 से 7, 14 से 17, 24 व 25 कुल 2.530 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदार का प्रस्ताव रखा, जिसे मुझ प्रार्थी द्वारा स्वीकार करते हुए प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य उक्त भूमि का सौदा तय कर लिया गया, जिसके सम्बन्ध में दिनांक 20.01.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 क द्वारा अपनी उक्त खातेदारी कृषि भूमि चक 13 एपीडी-बी का खाता संख्या 11 मु.नं. 6 प.नं. 253/401 का किला नं. 4 से 7, 14 से 17, 24 व 25 कुल 2.530 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदार रकवा का ईकरारनामा मुझ प्रार्थी के पक्ष में तहरीर करवाते हुए भूमि का सौदा 12,00,000/- अखरे बारह लाख रूपया स्वीकार करते हुए उसी दिन 10,00,000/- अखरे दस लाख रोवरू गवाहान के प्राप्त कर लिये तथा शेष 2,00,000/- अखरे दो लाख रूपया प्राप्त कर बैयनामा तस्दीक करवाना तय किया गया।

लगातार-2

उप जिला कलेक्टर
श्रीविजयनगर

Scanned by CamScanner

मुझ प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को कई बार मौखिक व रोबरू गवाहान उक्त चक का बैयनामा उपपंजीयक श्रीविजयनगर में तस्दीक करवाने के लिए कहा लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा हर बार टाल-मटोल करता रहा कि अभी बैंक का नॉ-ड्यूज (अनापत्ति प्रमाण-पत्र) आना बाकी है। जैसे ही बैंक का नॉ-ड्यूज मिल जायेगा, तो मैं बैयनामा करवाने के लिए आ जाऊँगा लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा हर बार टाल-मटोल करते हुए जान बूझकर भूमि का बैयनामा तस्दीक नहीं करवाया। अप्रार्थी संख्या 1 के मन में बईमानी व लालच आ गया। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि का बैयनामा मुझ प्रार्थी को करवाने से गुरेज कर रहा है और मुझ प्रार्थी से प्राप्त साई पेटे राशि 10,00,000/- अखरे दस लाख रूपया को हड़प करना चाहता है तथा उक्त भूमि को आगे किसी अन्य किसी को विक्रय करने की फिराक में है।

विवादित भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 अन्य किसी को रहन, विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित कर देता है, तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा व प्रार्थी अपनी खरीदशुदा भूमि से वंचित हो जायेगा। तृतीय पक्ष के हित सृजित होने से मुकदमेबाजी बढ़ेगी और जटिलताएं बढ़ेगी, जिससे न्यायालय को सही न्याय निर्णय करने में परेशानी होगी और प्रार्थी को न्याय प्राप्त करने में विलम्ब होगा। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का विधिक अधिकार है तथा प्रार्थी जरिये वाद उक्त रकबा की बकाया रकम अप्रार्थी को अदा कर अप्रार्थी के जरिये ईकरारनामा खरीदशुदा भूमि का कब्जा प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है। प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति तीनों महत्वपूर्ण प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा वाद पत्र के अतिन्तम निस्तारण तक इस आश्य की पारित की जावे कि अप्रार्थीगण ताफैसला मूल वाद विवदित भूमि चक वाके चक 13 एपीडी-बी का खाता संख्या 11 मु.नं. 6 प.नं. 253/401 का किला नं. 4 से 7, 14 से 17, 24 व 25 कुल 2.530 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदार रकबा को अन्य किसी को रहन, बैय या अन्य प्रकार से अन्तरित करने से स्वयं या अपने हित प्रतिनिधि के माध्यम से करने से बाज एवं ममनू रहे एवं मौका तथा रिकॉर्ड की यथा सिंति बनाए रखने के आदेश पारित करें।

प्रकरण एदर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर सुनवाइ का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जरिये वकील उपस्थित हुआ। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध कर निवेदन किया कि जो ईकरारनामा वाद-पत्र के संलग्न प्रस्तुत किया है वह फर्जी है। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई भी प्रार्थी के साथ भूमि का सौदा या ईकरारनामा नहीं किया है। ईकरारनामा पर जो अप्रार्थी के हस्ताक्षर किये गये है वह फर्जी है।

अतः प्रार्थी का जो प्रार्थना-पत्र है, वो माननीय न्यायालय को सुनने का अधिकार नहीं है। ईकरारनामा के सम्बन्ध में प्रार्थी को सिविल न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए था। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे।

लगातार-3

उप जिला कलेक्टर
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

पत्रावली में उभय पक्ष की बहस एवं संलग्न दस्तावेजों व कानूनी प्रावधानों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जो ईकरारनामा करवाया गया है, वह एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 को रजिस्टर्ड दस्तावेज ईकरारनामा फर्जी लगता है, तो वह सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दौराने वाद-पत्र के उक्त विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन किया जाता है, तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति व भारी असुविधा होगी तथा पक्षकारान के मध्य अनावश्यक मुकदमेंबाजी बढ़ेगी। वर्तमान में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 212 आर.टी. एक्ट स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाद के अन्तिम निस्तारण तक भूमि चक 13 एपीडी-बी का खाता संख्या 11 मु.नं. 6 प.नं. 253/401 का किला नं. 4 से 7, 14 से 17, 24 व 25 कुल 2.530 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदार भूमि के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 02.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका तलानिया)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
उप जिला कलक्टर
श्रीविजयनगर